

सूचना

शैक्षिक सत्र 2017-18 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित कुछ छात्रों द्वारा दिनांक 23.09.2017 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राचार्य, श्री देव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलिज देहरादून को दी गई। प्राचार्य द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर उसके अनुरूप शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। इसके बावजूद इन छात्रों एवं उनके अभिभावकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया जिससे परिसर में स्थित अस्पताल के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। अतः माननीय कुलपति द्वारा शैक्षिक सत्र 2017-18 की पढ़ाई को मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। अतः कोई विद्यार्थी या अभिभावक विद्यालय परिसर में न आएँ और न्यायालय के अन्तिम आदेश की प्रतीक्षा करें। यदि कोई अभिभावक विद्यालय में "शपथ पत्र" देने आना चाहे तो अवश्य आ सकता है।

आज्ञा से मा0 कुलपति
रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय